



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक: 04A.छात्रावास संबंधि/2019-20/269
दिनांक : 22.02.2021

परिपत्र

विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परिपत्र क्रमांक 003/2003/का.आ./02-23/2021, दिनांक 09.02.2021 की निरंतरता में छात्रावास प्रवेश के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था लागू की जाती है :

1. सत्र 2018-20 एम.फिल. के छात्रों को ऑनलाइन लघु शोध प्रबंध जमा करने के निर्देश पहले दिये जा चुके हैं। सत्र 2018-20 एम.फिल. के छात्रों के साथ-साथ जिन छात्रों के पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुके हैं वे दिनांक 05.03.2021 तक छात्रावास खाली करें।
2. छात्रावास में एम.फिल. 2019-21 के छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
3. विद्यार्थियों/शोधार्थियों को छात्रावास में प्रवेश करने से 48 घंटे पहले अपनी कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट (RT-PCR या Rapid) छात्रावास अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
4. सत्र 2020-21 के नव प्रवेशित विद्यार्थियों (पी-एचडी., स्नातकोत्तर, स्नातक) को छात्रावास में प्रवेश देने के संबंध में अलग से सूचना जारी की जायेगी।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव) 22/02/21

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. कुलानुशासक कार्यालय
4. समस्त छात्रावास अधीक्षक
5. वित्त विभाग
6. विश्वविद्यालय वेबसाइट 22/02/21
7. संबंधित पत्रावली